

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नावरतन बनाम हजारा उर्फ (पुत्र)

मुकदमा संख्या/वर्ष 80/2021 : 120

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरत रूप से
	20/3/24	पत्रावली पेश की। पी०३०३ संख्या को पत्र था। 25/4/24
	25/4/24	पत्रावली पेश की। न्यायिका प्रार्थी उर्फ प्रतिवादीगण को नो रिपोजिट वेम रिपोर्ट 3/7/2024 को पेश की। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	3/7/24	पत्रावली पेश हुई। न्यायिका प्रार्थी उर्फ न्यायिका प्रार्थी को प्रतिवादीगण को नो रिपोजिट जारी करार कर प्राप्त कर रजिस्ट्रार मित्रादि पेश करे। आज्ञा पत्रों पर रजिस्ट्रार रजिस्ट्री रखी है व डेफ रिपोर्ट पेश करने हेतु अतिरिक्त अवसर दिया जा रहा है पत्रावली दिनांक 18/7/24 को पेश की। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	18/7/24	पत्रावली पेश हुई। न्यायिका प्रार्थी उर्फ न्यायिका प्रार्थी द्वारा - प्राथमिक आदेश दिनांक 07/7/2021, 30/11/22, 27/1/23, 2/2/2023 22/3/23, 3/7/2024 को चलना से प्रतिवादीगण के रजि० प्र० नो रिपोजिट पेश नहीं किया है जिस वादी का वाद 09 RS (Non-Residence) अप्रतिवादीगण से (वाजि किया गया है) पत्रावली फिलहाल सुमाट टाइट, दर्ज नंबर 6 30 है। वास्तविक आदेश इष्टतम है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नो रिपोजिट
4644-32
3/7/24

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)